



सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 24 मार्च 2026

01 अप्रैल 2026 से मल्टीपल एनएवी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

पीएफआरडीए ने अपने दिनांक 06 मार्च 2026 के परिपत्र संख्या PFRDA/2026/15/REG-PF/04 के माध्यम से पेंशन निधि द्वारा लिए जाने वाले निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत 01 अप्रैल 2026 से सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिदाताओं (सब्सक्राइबर) के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10 मार्च 2026 के परिपत्र संख्या PFRDA/2026/16/REG-POP/01 तथा PFRDA/2026/17/REG-POP/02 के द्वारा एनपीएस वात्सल्य और एनपीएस लाइट सहित एनपीएस की सामान्य योजनाओं के संबंध में उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी-Point of Presence) शुल्क संरचना में संशोधन किया गया है, और इन पीओपी शुल्कों को एनएवी (निवल परिसम्पत्ति मूल्य) के माध्यम से समायोजित किया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त शुल्कों को लागू करने तथा एनएवी में उनको समायोजित करने के उद्देश्य से—सरकारी एवं गैर-सरकारी (पीओपी तथा ई एनपीएस) अभिदाताओं के लिए अलग-अलग आईएमएफ दरों और पीओपी शुल्कों के सिद्धांत के आधार पर — एक ही योजना के अंतर्गत मल्टीपल एनएवी फ्रेमवर्क की अवधारणा को 01 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।

3. उक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियाँ (CRA) और पेंशन निधियां अपने प्रणालियों एवं कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन काल के दौरान, सीआरए प्रणाली के माध्यम से कुछ लेन-देन संबंधी संव्यवहार संभव नहीं हो सकेंगे। सभी हितधारकों की जानकारी हेतु ऐसे लेन-देन का विवरण तथा प्रभावित अवधि का विवरण नीचे उल्लिखित है:

गतिविधियाँ/लेन-देन	सेवाएं बंद रहने की अवधि
अंतर- सीआरए स्थानान्तरण	25 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक
पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन	28 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक
<ul style="list-style-type: none">अभिदाता स्थानान्तरणत्रुटि सुधार (जीपीएफ आहरण सहित)एनपीएस से यूपीएस – प्रवासन/दावा अनुरोधवन-वे स्विचअभिदाता प्राथमिकता परिवर्तन	27 मार्च 2026 (प्रातः 10:30 बजे) से 1 अप्रैल 2026 तक



आहरण – निकास / टियर-2 / आंशिक आहरण / पारिवारिक पेंशन	31 मार्च 2026 (प्रातः 10:30 बजे) से 1 अप्रैल 2026 तक
एनपीएस लाइट से एपीवाई प्रवासन	27 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक

4. सभी अभिदाताओं एवं अन्य हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लेन-देन को उपरोक्त अनुसार निर्धारित करें। अभिदाता/अन्य हितधारक उपर्युक्त सेवाओं को 02 अप्रैल 2026 से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं।

5. कृपया ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान, सीआरए प्रणाली में नए अभिदाताओं का पंजीकरण/ऑनबोर्डिंग तथा मौजूदा अभिदाताओं के अंशदान सामान्य रूप से स्वीकार और संसाधित किए जाते रहेंगे।

हस्ताक्षरित

महाप्रबंधक



Public Notice

Date: 24th March 2026

Implementation of Multiple NAVs framework w.e.f. 01st April 2026

PFRDA has vide Circular No. PFRDA/2026/15/REG-PF/04 dated 06th March 2026 revised the Investment Management Fee (IMF) charges levied by Pension Funds wherein the charges have been differentiated for Government and Non-Government subscribers with effect from 1st April 2026. Further, vide circular No. PFRDA/2026/16/REG-POP/01 and PFRDA/2026/17/REG-POP/02 dated 10th March 2026, charge structure of Point of Presence (POPs) for common schemes under NPS including NPS Vatsalya and NPS Lite has been revised and the POP charges are required to be adjusted through NAV (Net Asset Value).

2. To enable levying of above mentioned charges and adjustment of the same in NAV, based on the principles of differentiated IMF rates and PoP Charges for Government and Non-Government (PoP and e-NPS) subscribers, the concept of multiple NAV framework within a scheme will be introduced w.e.f. 01st April 2026.

3. For implementation of the said framework, Central Recordkeeping Agencies and Pension Funds will be undertaking system and functionality changes. During such transition period, certain transactions will not be supported on CRAs' platforms. Details of such transactions along with the period of impact are mentioned below for information of all stakeholders:

Activities/Transactions	Period of Closure
Inter CRA Shifting	25 th March 2026 to 1 st April 2026
Rebalancing of portfolio	28 th March 2026 to 1 st April 2026
<ul style="list-style-type: none">Subscriber ShiftingError Rectification (including GPF withdrawal)NPS to UPS - migration/claim requestOne Way SwitchSubscriber Preference Change	27 th March 2026 (from 10:30 AM) to 1 st April 2026
Withdrawal -Exit/Tier 2/partial withdrawal /Family pension	31 st March 2026 (at 10:30 AM) to 1 st April 2026
NPS Lite to APY migration	27 th March 2026 to 1 st April 2026

4. Subscribers and other stakeholders are advised to schedule their transactions accordingly. Subscribers/other stakeholders can resume carrying out the above transactions w.e.f 2nd April 2026 onwards.

5. Kindly note that onboarding/registration of new subscribers and contributions by the existing subscribers will continue to be accepted and processed in the CRA system during the above said period.

sd/-
General Manager